राजस्थान सरकार

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रकाशित सूचना

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विज्ञप्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) के अन्तर्गत संलग्न कार्यालय आयुक्त एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर का विभागीय मैन्युअल विभाग में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के तथ्यों एवं कर्मचारियों संबंधी विस्तृत विवरण जन सामान्य को जानकारी हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है।

इस हस्त पुस्तिका की प्रति इस विभाग में एवं 33 जिला कलक्टर एवं सभी सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों में जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं सहायक शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग आपदाओ के प्रबंधन एवं आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने वाला विभाग है। केवल राज्य स्तर पर विभाग का कार्यालय कार्यरत है, जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय विभाग की जिला स्तरीय ऐजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक अकाल ही मुख्य आपदा रहा है, जिसके लिए विभाग जिला कलक्टर्स के माध्यम से राहत गतिविधियां यथा पशु संरक्षण गतिविधियां, पेयजल परिवहन व्यवस्था, कृषि आदान–अनुदान, असहाय सहायता आदि संचालित कर प्रभावितों को राहत सहायता प्रदान कराता है। विभाग द्वारा बाढ़ मैन्युअल एवं भूकम्प मैन्युअल तैयार किये गये हैं। विभागीय वेबसाईट www.dmrelief.rajasthan.gov.in पर विभागीय सूचनाऐं उपलब्ध है। जिलों में चलाई जाने वाली राहत गतिविधियों की राज्य स्तरीय मोनिटरिंग विभाग द्वारा की जाती है। जिले से संबंधित विस्तृत सूचना जिला स्तर पर ही उपलब्ध होती है।

विभागीय संरचना :

सहायता विभाग की गतिविधियों के संचालन हेतु विषयवार विभिन्न शाखायें यथा सामान्य शाखा, राहत कार्य शाखा, बाढ़ शाखा, चारा एवं पेयजल शाखा, आपदा प्रबन्धन शाखा, शिकायत शाखा, सांख्यिकी शाखा, ओला/अग्नि/भुकम्प/शीतलहर/हिमस्खलन/बादल फटना/तूफान शाखा लिटिगेशन, रेकार्ड, लेखा शाखा आदि कार्यरत हैं। जिनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण अग्रलिखित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक गठन का ढ़ांचा **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है। मुख्यालय पर विभाग के कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2 पर** दर्शायी गयी है। विभागीय अधिकारियों की डायरेक्टरी, मय उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य, **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

विभाग के उद्देश्य :–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अर्न्तगत राज्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के उपाय, उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, लोगों का क्षमता संवर्धन करना, आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराना, पुनर्वास संबंधी कार्य करना आदि विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं।

मुख्य कार्य :– इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:

(1) राज्य में आपदा से संबंधित विभिन्न विभागों, जिलों व राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना व उन्हें अद्यतन करवाना।

(2) राज्य में आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना।

(3) आपदा प्रबंधन योजना अनुसार संवेदनशील क्षेत्र में नागरिकों,संस्थाओ, कर्मचारियों/अधिकारियो का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना।

(4) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घ कालीन योजनाओं द्वारा विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत संरचनाऐं एंव संसाधन विकसित करना।

(5) विभिन्न आपदाओं के परिपेक्ष्य में सभी आवश्यक तैयारियां आपदा सम्भावित क्षेत्र में सुनिश्चित करना ताकि आपदा के समय न्यूनतम जन–धन हानि हो।

(6) आपदा से प्रभावितों को निर्धारित मापदण्डानुसार एवं बजट उपलब्धता के अनुसार सहायता प्रदान करना।

(7) आपदा से प्रभावितो का पुनर्वास सुनिश्चित करना।

(8) आपदा के समय विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करना।

विभाग द्वारा राज्य में होने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ, भूकम्प, अग्निकांड, ओलावृष्टि की स्थिति में SDRF के मानदण्डों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

सूखा :– राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः अकाल की स्थिति रहती है। वर्षा की कमी/अभाव की स्थिति में गिरदावरी रिपोर्ट/कलक्टर की विस्तृत रिपोर्ट

पर विभाग के आकलन के आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा अभाव की घोषणा की जाती है। अभाव अवधि में अभावग्रस्त गांवो में विभिन्न राहत गतिविधियां संचालित की जाती है जैसेः—

पशु संरक्षण गतिविधियां :—

1. **पशु शिविरः—** राजकीय संस्था एवं पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से पशुशिविर खोले जाकर लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के पशुओं को राहत सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.15 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के संशोधित मानदण्डों में पशु शिविरों हेतु जिला कलेक्टर्स को आवश्यकता अनुसार 30 से 90 दिवस की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। विशेष परिस्थिति में उक्त 90 दिवस अवधि को राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय एस.डी.आर.एफ. हेतु आवंटित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. **चारा डिपोः—** अभावग्रस्त जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से चारा डिपो संचालित करवाये जाते हैं। पशुपालकों को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा वितरण किया जाता है।

3. पेयजल परिवहन व्यवस्थाः— विभाग द्वारा जिस स्थान पर नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ/अकाल के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, वहॉ सर्वप्रथम यह प्रयास ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वंय सेवी संस्था/दान दाताओं के सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपुर्ति की जाती है। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना कम/ नगण्य हो तो वहॉ 1 कि. मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्रोत ना हो वहॉ विभागीय निर्देशों की अनुपालना PHED द्वारा पेयजल परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा

जिला कलक्टर द्वारा स्थानीय मांग पर टैंकर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन अभाव अवधि के दौरान केवल अभावग्रस्त क्षेत्रों में कराया जाता है। इस पर होने वाला व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद से वहन किया जाता है।

4. अनुग्रह सहायताः– अभावग्रस्त क्षेत्रों में जिन प्रभावितों के पास खाद्यान्न सामग्री नष्ट हो गई हो या खाद्यान्न सामग्री जुटाने में सक्षम नही हो और राज्य सरकार की अन्य योजना का लाभ नही ले रहा हो ऐसे पात्र व्यक्तियों को भारत सरकार के SDRF नोर्मस् के अनुसार 60/– रूपये प्रति वयस्क और 45/–रूपये प्रति अवयस्क को प्रतिदिन निर्धारित अवधि में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5. कृषि आदान अनुदान :– प्रभावित पात्र कृषकों को बजट उपलब्धता अनुसार SDRF के मानदण्डों के अनुसार कृषि सहायता प्रदान की जाती है।

6. अभावघोषणा ओलावृष्टि रबी सम्वत 2076:– राज्य के 15 जिलों 861 ग्रामों को अधिसूचना दिनॉक 02.07.20 से अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

7. अभावघोषणा खरीफ फसल सम्वत 2076 :– राज्य के 04 जिलों के सूखा से 1388 ग्रामों को अधिसूचना दिनॉक 11.11.2019 से अभावग्रस्त घोषित कर क्रियान्विति आदेश जारी किये गये है।

8. अभावघोषणा खरीफ फसल सम्वत 2076:– राज्य के 18 जिलों के बाढ़ से 12943 ग्रामों को अधिसूचना दिनांक 06.11.2019 से अभावग्रस्त घोषित कर क्रियान्विति आदेश जारी किये गये है।

9. अभावघोषणा रबी फसल सम्वत (टिड्डी) 2076:– राज्य के 08 जिलों के 908 ग्रामों की अधिसूचना दिनांक 03.03.20 व 05 जिलों के 82 ग्रामों को अधिसूचित एवं 02 जिलों के 30 ग्रामों को डी–नोटिफाई किये है। अधिसूचना दिनांक 15.05.20 को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

10. अग्नि पीड़ितों को सहायताः– जिला कलक्टरों को निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे।

11. मानव जनित आपदाः–

(1) बॉम्ब ब्लास्ट पैकेज पत्र क्रमांक प.2(17) गृह–5/02 दिनांक 27 अगस्त, 2008 को जारी किया गया।

(2) चामुण्डा देवी मन्दिर मेहरानगढ़, जोधपुर प्रकरण में पैकेज पत्र क्रमांक एफ 6(5) एसओ/2008/12921 दिनांक 24.10.2008 को जारी किया गया।

(3) उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी राहत पैकेज क्रमांक एफ.( ) आ.प्र.एवं सहा. /उत्तराखण्ड राहत पैकेज/2013/11041–91 दिनांक 29.07.2013 को जारी किया गया।

उक्त पैकेजों का विवरण विभागीय वैब साईट WWW.dmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त सुविधा मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन की जा रही है।

12. बाढ़ :– राज्य के कुछ हिस्सो में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ की स्थिति उत्पन होने की सम्भावना रहती है। विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कराए जाते हैं। मानसून के दौरान वैदर वॉच ग्रुप की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर वर्षा पर निगरानी रखी जाती तथा सहायता कार्यो के लिये आपदा राहत कोष के मानदण्डो के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनरूद्वार के लिये राशि प्रदान की जाती है। इसी सम्बंध में माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्भावित बाढ़ से बचाव हेतु तैयारियों के सम्बंध में बैठक आयोजित की जाती है तथा सभी जिला कलेक्टर्स को तैयारियों के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए चैक लिस्ट भी भेजी जाती है, उसी के अनुरूप जिला कलेक्टर्स द्वारा आवश्यक तैयारियां की जाती है और सभी सम्बंधित ऐजेंसियों/विभागों यथा मौसम विभाग, सिंचाई विभाग, जन. स्वा. अभि. विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, भारत संचार निगम, डाक एवं तार विभाग, पुलिस विभाग, राज्य आपदा मोचन बल आदि को दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

13. अंधड़/तूफानः— आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा तेज आंधी/अंधड़ तूफान जिससे वृहत स्तर पर जान व माल की हानि हो को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा (State Speific Disaster) के रूप में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(1) आ.प्र.सहा./ओला./2018/6282—340 दिनांक 17.04.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना दिनांक 11.04.18 से प्रभावी है।

14. आपदा (कोविड—19) **प्रबन्धनः—** कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम एवं आवश्यकता के मध्यनजर आवश्यक उपकरण/सामग्री क्रय हेतु जिला कलक्टर्स की मांग अनुसार जिला कलक्टर्स को लगभग 109.00 करोड रू एवं प्रवासी श्रमिकों के आवास, भोजन, परिवहन एवं चिकित्सा देखभाल हेतु पी.एम. केयर मद से 35.69 करोड़ रू का हस्तान्तरण किया गया। कोविड संक्रमण रोकनें के लिए स्क्रीनिंग एवं कोन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु समस्त जिलों को आवश्यकतानुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की स्वीकृति जारी की गयी। साथ ही इमरजेन्सी प्रोक्योरमेंट हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, उद्योग विभाग, जयपुर, पुलिस कमिश्नर जयपुर एवं जोधपुर को आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 50 के तहत छूट दी गयी।

कोविड—19 के बचाव, तैयारियों एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग की क्षमता संवर्धन हेतु मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को अतिरिक्त प्रयोगशाला स्थापित करने, वेंनटिलेटर तथा जांच सम्बन्धी अन्य उपकरण एवं सामग्री हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को लगभग 430.00 करोड रू का हस्तान्तरण किया गया। कोविड—19 की डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा हेतु मास्क, सैनेटाइजर, हैण्ड ग्लव्ज, पीपीई किट एवं फैसशील्ड आदि क्रय हेतु स्वायत्त शासन विभाग व राजस्थान पुलिस को 03 करोड रू हस्तान्तरित किए गयें। इस प्रकार कोविड—19 के रोकथाम हेतु विभाग से लगभग **578.00 करोड रू** का हस्तान्तरण विभिन्न विभागों एवं जिला कलक्टर्स

को किया गया। साथ ही कोविड–19 की तैयारियों/बचाव/रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न आदेश जारी किये गयें।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की विभिन्न धारा/उपधाराओ के तहत समय–समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गये यथा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, श्रमिकों, मजदूरों एवं विधार्थियो को जबरन मकान खाली नही कराये जाने, एक महीने तक मकान किराये की मांग नहीं करने, आपूर्तिकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, दालमीलों, आटामीलों के मालिकों को निर्बाध रूप से आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति संबंधी, श्रमिकों (उद्योग/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत) को नियत तिथि पर बिना कटौती के भुगतान किए जाने, अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान राज्य के तथा राजस्थान राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओ के समुचित निराकरण/निस्तारण हेतु एवं देश के बाहर रह रहे अप्रवासी राजस्थानियों को राज्य में लाने हेतु नागरिक विमानन मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय एवं अन्तर राज्य श्रमिकों एवं व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में रेलवे के साथ प्रभावी समन्वय के लिए समितियों का गठन एवं अधिकारियों के नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गये।

आपदाओं से सबंधित नोडल विभाग की सूची (**परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।)

विभाग से संबंधित संस्थाऐं/समितियां :–

1. **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण में अन्य 08 सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

   उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव है तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इसके सदस्य सचिव है।

2. **राज्य कार्यकारी समिति** :– अधिनियम की धारा 20 की पालना में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राधिकरण के निर्णयों की पालना करवाना, आपदा के निवारण, शमन एंव पूर्व तैयारी हेतु वित्तिय प्रावधान करना आदि मुख्य कार्य किये जाते हैं।

3. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार जिलों मे जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह समिति अधिनियम के प्रावधानानुसार जिले में आपदा प्रबंधन के कार्य करती है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हेतु ही राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक बुलाई जाती है। डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 के सेक्शन 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का ऑन लाईन संचालन विभागीय सॉफ्टवेयर एपलिकेशन (DMIS) द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्य जैसे स्वीकृति जारी करना, बजट आवंटन करना, राहत गतिविधियां की प्रगति आदि शामिल है।

आपदा प्रबन्धन के लिए आपदाओं से निपटने के लिये एक **राज्य नियंत्रण कक्ष** की स्थापना शासन सचिवालय, जयपुर में की गई है, जहां से आपदाओं के घटित होने की स्थिति में पूर्ण रूप से निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। (दूरभाष नम्बर **1070, 2227296, 5110869 व फेक्स–5110865)** । राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक जिले एंव तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निर्धारित कर दिये गये हैं,

विभाग द्वारा क्रियान्वयन किए जाने वाले अधिनियम/नियम एवं निर्देश :–

(1) राजस्थान अफेक्टेड एरियाज अधिनियम,1952
(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(3) आपदा प्रबंधन नियम, 2009
(4) सूखा प्रबंधन संहिता
(5) बाढ़ संहिता
(6) भूकम्प संहिता
(7) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के प्रावधान
(8) आपदा प्रबंधन एवं सहायता निर्देशिका
(9) राहत कार्य सचांलन के दिशा–निर्देश
(10) राज्य आपदा प्रबन्धन नीति
(11) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना
(12) State Platform for Disaster RisK Reduction (SPDRR)
(13) State Guidelines on Minimum Standards of Relief For Victims of Disasters.

वित्तीय प्रावधान :– वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितो को सहायता प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत केन्द्र एंव राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एंव राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। आपदा राहत निधि में केन्द्र सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. मदों में राशि जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष की निर्धारित सीलिंग अनुसार दो किश्तों में राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है जिसमे राज्य सरकार अपना अंश मिला कर उसे राज्य आपदा मोचन निधि मे वित्त विभाग के माध्यम से समायोजित करती हैं। इस प्रकार निधि में जमा राशि को वित्त विभाग से बजट मद 2245 में बजट प्रावधान स्वीकृत करवाकर विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. मापदण्डो के

अनुसार जिला कलेक्टरों को ऑनलाइन मांग प्राप्त होने पर बजट आंवटन किया जाता है।

राजस्थान राहत कोष :– एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एंव बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबन्धन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित **राज्य स्तरीय समिति** द्वारा किया जाता है। दान दाताओं द्वारा इस कोष में दान स्वरूप अंशदान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत छूट देय है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 14.03.18 में इस कोष की अवधि आगामी 4 वर्ष (दिनॉक 31.03.22) तक बढ़ाये जाने की अभिशंषा का निर्णय लिया जा चुका है। इस कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित आपदाओं को शामिल किया गया हैः–

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढ़हने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य
3. बहुमंजिले भवनो के ढ़हने, कुए के ढ़हने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य
4. मिट्टी एवं चट्टान ढ़ह जाने तथा कुए में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव के कार्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदायें जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हों, निर्णीत की जा सकती हैं।

विभाग द्वारा संधारित अभिलेख :– आपदा प्रबंधन एंव सहायता विभाग एंव जिला कलक्टर कार्यालयो में आवश्यकता अनुसार निम्न अभिलेख रखे जाते हैं :–

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित राशि से संबंधित अभिलेख।

(2) अभाव घोषणा अन्तर्गत फसल खराबे का अन्तिम प्रतिवेदन भेजने के प्रपत्र/अभिलेख ।

(3) भारत सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन ।

(4) राशि की आवश्यकता का मांग पत्र ।

(5) शिकायत पंजिका का प्रपत्र अभिलेख ।

(6) अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट,मासिक रिपोर्ट ।

(7) अकाल संहिता, बाढ संहिता, भूकम्प संहिता, सहायता निर्देशिका में दिये गये प्रपत्र अभिलेख ।

(8) स्थापना/भुगतान/बैंठको संबंधी अभिलेख।

(9) प्रगति प्रतिवेदन/वर्षा संबंधी आंकडे/आपदा प्रबंधन योजनाऐं आदि ।

(10) आय/व्यय अभिलेख ।

विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 उपधारा 1 व 2 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.20(22)प्रसु/सू.अ.प्र./2008 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आयुक्त एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र कमांक प.11 (1)प्रसु./सूअप्र./2015 दिनांक 05.02.15 के निर्देशों की पालना में माननीय राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई हेतु विभागीय पत्र कमांक एफ.12(1) आप्र. एवं सहा./सूअ./2012/6526–32 दिनांक 22.08.19 के द्वारा इस विभाग के सहायक शासन सचिव एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग परिपत्रादेश कमांक प.3(227)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.11 एवं माननीय राजस्थान सूचना आयोग में अपील संख्या–1482/2012 के निस्तारण के कम में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2013 की पालना में इस विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना प्रशासनिक सुधार (सूअप्र.) विभाग को भिजवायी जाती है।

विभाग के मुख्यालय स्तर पर सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्पर्क कर आवेदित सूचना का विस्तृत विवरणानुसार निर्धारित फीस जमा कराने के फलस्वरूप नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जावेगी। चूँकि विभाग के प्रायः सभी कार्य जिलों के जिला कलक्टर्स के माध्यम से सम्पादित

कराये जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अकाल राहत कार्य एवं अन्य आपदा/सहायता से सम्बन्धित सूचना के लिए जिला/उपखण्ड/तहसील स्तर पर भी आवेदन कर सकता है। जैसेः—

वांछित सूचना का प्रकार	सूचना प्राप्त करने की एजेंसी
(i) अकाल राहत कार्यों में नियोजित श्रमिकों के भुगतान आदि प्रकरण	जिला कार्यालय/तहसील/पंचायत समिति/पी.डब्ल्यू.डी./अन्य विभाग जिसके माध्यम से कार्य कराये/ सहायता दी जाती है।
(ii) पशु चारा डिपो/गौशाला, पशु शिविर अनुदान आदि	उपरोक्तानुसार
(iii) अग्नि/अतिवृष्टि/बाढ़/पेयजल व अन्य सहायता सम्बन्धी प्रकरण	उपरोक्तानुसार

वांछित सूचना जिला/तहसील एवं एजेंसी स्तर पर उपलब्ध/समाधान नहीं कराने की स्थिति में प्रथम अपील संबंधित जिला कलक्टर/अपीलेंट अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। प्रथम अपील का निस्तारण/समाधान/संतोषजनक नहीं होने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग में की जा सकती है।

परिशिष्ट–1

Administrative Set-up

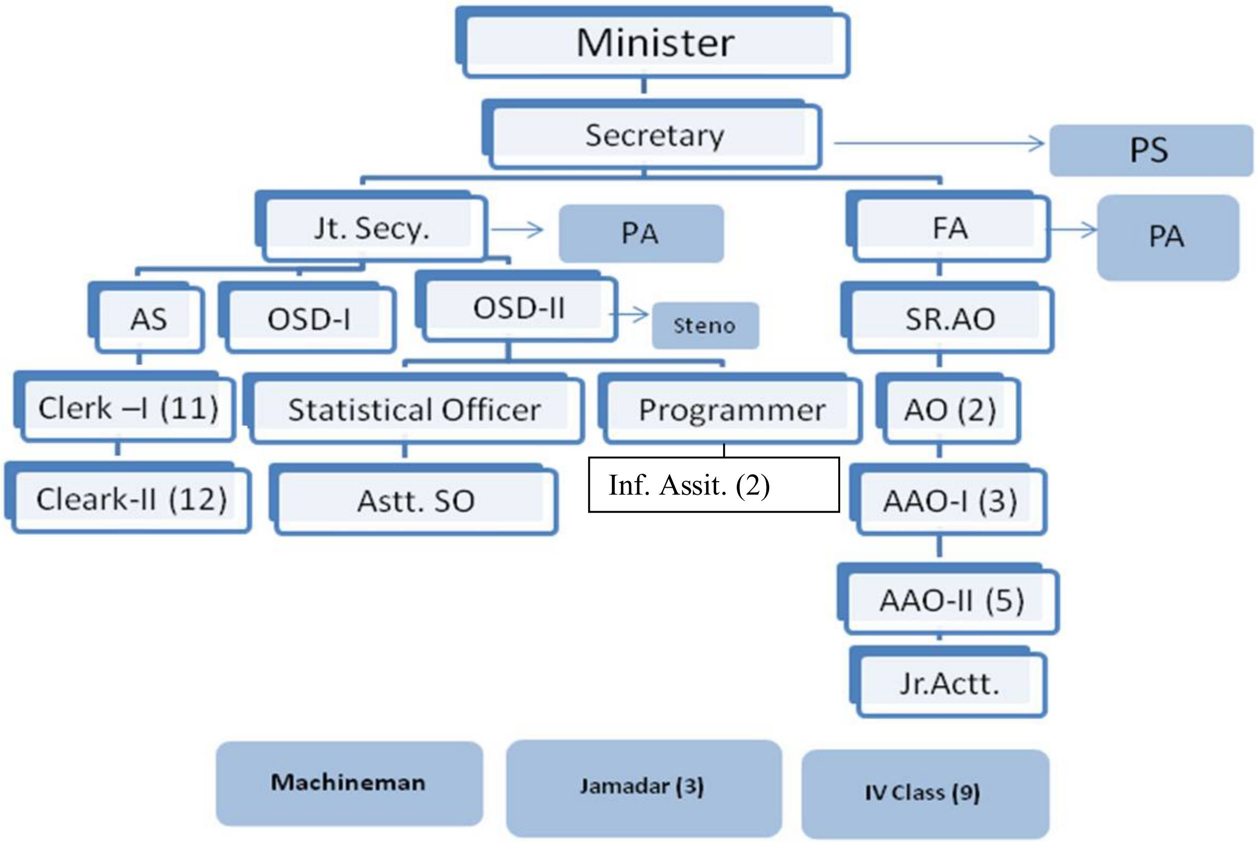

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पदनाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1.	शासन सचिव	श्री सिद्धार्थ महाजन	26.09.2019
2.	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	06.07.2020 से रिक्त
3.	संयुक्त शासन सचिव	श्रीमती कल्पना अग्रवाल	27.02.19
4.	वित्तीय सलाहकार	श्री एन.एल. शर्मा	25.09.2019
5.	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	श्री चेतन चौहान	13.08.2019
6.	विशेषाधिकारी (प्रथम)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.11
	विशेषाधिकारी (द्वितीय)	श्री देशराज मीणा	28.04.15
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री लक्ष्मण प्रसाद कोली	21.08.20
8.	लेखाधिकारी	श्रीमती प्रतिभा निमेश	10.03.19
9.	सांख्यिकी अधिकारी	श्री कुंजबिहारी खण्डेलवाल	18.03.16
10.	सहा.लेखाधिकारी–I (2)	1. श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया 2. श्री शंकर लाल मीणा	01.04.16 15.12.16
11.	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	रिक्त	01.08.20
12.	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.18
13.	अति. निजी सचिव (2)	श्री दिनेश कुमार सरोलिया	16.09.16
.14.	अति. निजी सचिव	रिक्त	01.08.2017
15.	अति. प्रशासनिक अधिकारी	रिक्त	01.08.20

विभाग से संबंधित प्रकरणों/पत्रावलियों का निस्तारण

प्रथम निस्तारण जिसके माध्यम से पत्रावली/प्रकरण उच्च स्तर को प्रस्तुत करने वाला कर्मचारी	जिसको प्रकरण/पत्रावली प्रस्तुत की जानी है।
क. सहायक	व. सहायक
व. सहायक	सहा. प्रशासनिक अधिकारी
सहा. प्रशासनिक अधिकारी	अति. प्रशासनिक अधिकारी
अति. प्रशासनिक अधिकारी	सहायक शासन सचिव /विशेषाधिकारी
सहायक शासन सचिव /विशेषाधिकारी	संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव	शासन सचिव
कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी–II	सहायक लेखाधिकारी–I
सहायक लेखाधिकारी–I	लेखाधिकारी
लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी	वित्तीय सलाहकार
वित्तीय सलाहकार	शासन सचिव

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित कार्य विवरण

क्र. सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का पदनाम एवं नाम	सम्पादित कार्यों का विवरण	टेलीफोन नम्बर
1.	संयुक्त शासन सचिव, श्रीमति कल्पना अग्रवाल (142700)	(1) सहायक सचिव, विशेषाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय से सम्बन्धित कार्यों का कियान्वयन (2) कार्यालयध्यक्ष से सम्बन्धित कार्य (3) विभागीय लोक सूचना अधिकारी सम्बंधित कार्य (4) नितीगत निर्णय शाखा	कार्यालय 2227985 मो. 9413318811
2.	वित्तीय सलाहकार, श्री एन.एल. शर्मा (138500)	लेखा एवं बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य	2227102 (कार्या.) मो. 9928283197
3.	शासन सहायक सचिव, श्री चेतन चौहान (26400, छठे वेतन के अनुसार)	(1) स्टोर शाखा (2) चारा शाखा (3) सामान्य शाखा (4) भारत सरकार से पत्राचार (5) लिटिगेशन (6) बाढ़/चक्रवात शाखा (7) अनुग्रह सहायता, कृषि आदान अनुदान (8) ओलावृष्टि शाखा (9) समस्त प्रकार के पैकेजों का कार्य (10) आर.टी.आइ. व भूकम्प (11) विविध पत्र एवं शेष रहे समस्त कार्य	2227084 (कार्या.) 9460881254
4.	विशेषाधिकारी प्रथम श्री बिजेन्द्र सिंह (111200)	(1) प्रशिक्षण शाखा (2) आपदा प्रबन्धन शाखा का समस्त कार्य (3) राजस्थान राहत कोष (4) अग्नि	2227885(कार्या.) मो. 9414000240
5.	विशेषाधिकारी द्वितीय श्री देशराज मीना (142700)	1. विधान सभा/लोकसभा/राज्य सभा से संबंधित समस्त कार्य 2. कश्मिरी विस्थापित शाखा	9783861145

6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री लक्ष्मण प्रसाद कोली, (82700)	1. BFC, आधिक्य / बचत सम्बंधित कार्य, 2. प्लान मद की बैठक का आयोजन एवं तैयारी, 3. NDRF/SDRF मद की प्राप्ति एवं आवंटन। 4. बजट पुनर्विनियोजन का कार्य। 5. महालेखाकार, PAC से सम्बंधित पत्र व्यवहार का कार्य।	9460763780
7.	लेखाधिकारी, श्रीमति प्रतिभा निमेश (56100)	1. DMIS/DMRD सम्बंधि मामले, IT Cell/DMIS टीम से समन्वय व सतत निराकरण। 2. विभिन्न विभागीय पत्रावलियों पर नियमों संबंधित टिप्पणी देना। 3. महालेखाकार / जॉच / सीएजी / पीए सी आदि से संबंधित समस्त कार्य। 4. नागरिक सुरक्षा विभाग की समस्त पत्रावलिया। 5. अन्य निर्देशित कार्य	7793804048
8.	सांख्यिकी अधिकारी, श्री कुंजबिहारी खण्डेलवाल (47000)	सांख्यिकी शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्य	9887181831
9.	प्रोग्रामर, श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय (57800)	(1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर सम्बन्धित समस्त कार्य (2) विभागीय विन्डो एप्लीकेशन के मोनिटरिंग का कार्य (3) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मोनिटरिंग शाखा, सीएमआईएस	9001632707
10.	अति. निजी सचिव, श्री दिनेश कुमार सारोलिया (87700)	अति. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार	9772205411
11.	श्री देवकी नन्दन **(सेवानिवृत / संविदात्मक)**	अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव	9602793252
12.	सहायक लेखाधिकारी– I श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया, (75600)	1. बीएफसी, अधिक्य / बचत, प्लान मद की बैठक से सम्बंधित कार्य। 2. भारत सरकार एवं वित्त विभाग से पत्राचार सम्बंधी सभी कार्य। 3. भारत सरकार से एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की प्राप्तियों सम्बंधी समस्त कार्य राशि के निधि में / निधि से ट्रेजरी अन्तरण सम्बंधी	9001409981

		अंतरण प्रविष्टियां जारी करना। आवश्यकतानुसार बजट पुनर्वियोजन, डीडीओ पावर एवं अन्य विभागों के पीडी खाते में आवंटन। 4. SDMA/SEC की पालना में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की सम्बंधित शाखा के डीलिंग को बजट मद व बजट उपलब्धता की सूचना उपलब्ध कराकर स्वीकृति जारी करना, वित्त विभाग से आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियां दिलाकर जॉच कर बजट आवंटन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना।	
13.	सहायक लेखाधिकारी– I श्री शंकर लाल मीणा, (69000)	1. मुख्यालय के संस्थापन, अंकेक्षण तथा भुगतान संबंधी प्रकरण, 2. कोविड–2019 के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र 3. डाक मार्किंग का कार्य।	9828030654
14.	सहा. प्रशा. अधि., श्री राजेन्द्र यादव (66300)	1. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का अतिरिक्त कार्य 2. स्टोर शाखा का समस्त कार्य	9887384593
15.	सहा. प्रशासनिक अधि., श्री घनश्याम मीणा (46700)	विधान सभा / लोकसभा / राज्य सभा से संबंधित समस्त कार्य	9413417961
16.	सहायक लेखाधिकारी – I श्री सुभाष चन्द धमनिया (73400)	1. सीएजी, पीएसी पैरा ऑडिट कमेटी की बैठक तथा निरीक्षण विभाग से सम्बंधित प्रतिवेदनों पर कार्यवाही, 2. गबन सम्बंधित समस्त प्रकरण। 3. विभागीय आंतरिक अंकेक्षण, विशेष जांच प्रतिवेदनों की अनुपालना कराना।	9829771477
17.	सहायक लेखाधिकारी– II श्री नन्छु राम जाट, (69000)	1. बजट मद 2245–02 कृषि आदान अनुदान, बाढ़, क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों आदि का नुकसान, 2. कोविड–2019, अन्य बजट आवंटन का समस्त कार्य, रिकार्ड व रिपोर्ट संधारण।	9414078832
18.	सहायक लेखाधिकारी– II श्री आलोक छाबड़ा, (69000)	1. जिलों से मासिक आय–व्यय एवं माइनस व्यय के मासिक विवरण प्राप्त कर सूचना संकलित करना। फंड्स पोजीशन स्टेटमेण्ट व मदवार व्यय की सूचना। 2. ए.जी. से अंकमिलान कराना एवं	7597921149

		आवश्यक होने पर टी.ई. भिजवाना। 3. उपयोगिता प्रमाण पत्र, सूचनाएं तैयार करना, अधिक्य बचत विवरण तैयार करना, 4. विनियोग लेखा का जवाब अंकेक्षण शाखा को उपलब्ध कराना। 5. संस्थापन, स्टोर व क्रय प्रक्रिया/निविदा आदि का कार्य। 6. पत्रावलियों का परीक्षण एवं टिप्पणी तथा नागरिक सुरक्षा विभाग सम्बंधित प्रकरण।	
19.	कनि. लेखाकार श्री जयराम मीणा, (33800)	P M Care Fund से सम्बंधित कार्य, भुगतान, स्टोर शाखा लेखा कार्य, महालेखाकार अंकेक्षण अनुपालनाएं (मुख्यालय एवं जिले) सहायक लेखाधिकारी (ऑडिट) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वित्त (जीएण्डटी) विभाग को GEM/RTPP की मासिक रिपोर्ट।	9950276326
20.	कनि. लेखाकार श्रीमति नीतु व्यास (33800)	1. बजट मद 2245–01 एवं 2245–80 का समस्त कार्य। 2. रिकार्ड व रिपोर्ट संधारण सूखा, कृषि आदान अनुदान, टिड्डी, अग्नि अन्य सहायता मदों का बजट आवंटन कार्य	9680191748
21.	कनि. लेखाकार श्रीमति रितु परिहार (33800)	1. विधानसभा प्रश्न, 2. सूचना का अधिकार, 3. बाढ़ मद का कृषि आदान अनुदान, 4. आडिट सम्बंधित कार्य में सहयोग करना, सीबीसी अवशेष राशि सम्बंधित कार्य।	
22.	शीघ्र लिपिक, श्री मूलचन्द शर्मा (80200)	संयुक्त शासन सचिव कार्यालय में	9680153557
23.	वरि. सहायक, श्री सुनिल कुमार वर्मा (37500)	1. बाढ़/चक्रवात शाखा का समस्त कार्य 2. एसडीएमए/एसईसी एवं अन्य बैठकों का कार्य	9928560133
24.	वरि. सहायक , श्री हीरालाल रैगर **(सेवानिवृत/संविदात्मक)**	1. अनुग्रह सहायता 2. भारत सरकार से पत्राचार 3. सामान्य शाखा का समस्त कार्य	9887156822

		4. अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों का निस्तारण	
25.	वरि. सहायक , श्रीमति सुमन पाठक (58900)	1. पेयजल 2. पशु संरक्षण गतिविधियां 3. चारा	9414787537
26.	वरि. सहा., श्रीमति मंजु पांचाल (44000)	1. शिकायत 2. अग्नि 3. लू–ताप	9414278737
27.	सूचना सहा., श्री विमल प्रकाश परेवा (30500)	(1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर सम्बन्धित समस्त कार्य (2) विभागीय विन्डो एप्लीकेशन के मोनिटरिंग का कार्य (3) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मोनिटरिंग शाखा, सीएमआईएस	9782993674
28.	क. सहायक, श्री रामकिशोर (42700)	1. ओलावृष्टि शाखा 2. अंधड़–तूफान 3. पाला–शीतलहर	9672755240
29.	क. सहा., श्री नवीन कुमार जाजौरिया (11100)	1. कश्मीर विस्थापित शाखा का काय 2. राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, 3. मोनिटरिंग शाखा, सीएमआईएस	8890486865
30.	क. सहा., श्री सुरेश कुमार शर्मा (11100)	स्थापना शाखा का समस्त कार्य	9680962766, 8107448607
31.	क. सहा., मो. आरीफ (11100)	1. आवक शाखा 2. जावक शाखा	9462365828
32.	क. सहा., श्री राजेश निनामा (20800)	रिकार्ड / टिड्डी / विविध	9680698891

33.	क. सहा., श्री हनुमान सिंह (20800)	प्रशिक्षण शाखा	9785517669
34.	क. सहायक, विजेन्द्र सिंह (28700)	फैक्स / आर.टी.आई. / ई–मेल / भूकम्प / पेपर कटिंग	9829203400
35.	क. सहा., श्री सुनील सिंह निर्वाण, (20800)	कैशियर, एफवीसी बिलों का समस्त कार्य	9079892237
36.	क. सहा., श्री श्रीकृष्ण यादव (20800)	सामान्य शाखा एवं टंकण कार्य	9667283790
37.	क. सहा., सुश्री आरती कुमावत, (20800)	1. लिटिगेशन 2. राजस्थान राहत कोष 3. पैकेज शाखा	7300226795
38.	क. सहा., श्री महेश शर्मा (14600)	सहायक विधान सभा शाखा	8952820577
	क. सहा., रवि प्रकाश शर्मा (14600)	आपदा प्रबन्धन शाखा	9079956235
39.	मशीन मेन, श्री बनवारी लाल, (35000)	फोटो स्टेट का कार्य	9462307167
40–42.	जमादारः–(3) 1. श्री बाबूलाल मीणा, (30800) 2. श्री मोहम्मद इस्माईल, (32000)	संयुक्त सचिव महोदय की घंटी पर	7976199091 8769546317

	3. श्री श्रवण लाल (33700)	शासन सचिव कार्यालय में .	9314965709
43–49	च0श्रे0कर्मचारीः– (7) **1.** श्री **अहसान खान,** (32000) 2. श्री देवनारायण, (30200) 3. श्री **श्याम सुन्दर** (27100) 4. श्री निरंजन परिहार (18200) **5. श्री जयराम** (19300) 6. श्रीमति सुमित्रा शर्मा (19300) 7. श्रीमति मधुबाला मीणा (12400)	कार्यालय कार्यो में सहयोग	**8290669641** 9660189911 **9928851094** 9929578888 **9660545199** 7568985232 9950421731

परिशिष्ट–4

s.n.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1	Disaster Management & Relief	Drought, Hailstorms. Heat & Cold Wave. Thunder & Lighting Cyclones. Landslides & Mudflows
2	Energy	Disaster involving power generation/distribution/transmission
3	Home	Terrorist attack Bomb Blast, Police Mutiny, Major Law & Order Crisis. Nuclear disaster, Air, Road and Rail accident, Festival related disaster, Oil Spill.
4	Water Resources	Flood and drainage Management, Dam bursts & Cloud bursts
5	PWD	Earthquake, Major Building Collapse
6	Mines	Mine Fire and Mine Flooding
7	Industries	Chemical & Industrial disasters
8	UDH	Urban Fires
9	Revenue	Village Fire and boat Capsizing
10	Forests	Forest fire
11	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12	Agriculture	Pest attack
13	Animal Husbandry	Cattle Epidemic